न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 35/15 **निर्णय दिनांक 04.09.2018**

1. बंशीधर पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी पुलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 05—11—1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 05—11—1993 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 18 बीएलडी के मुरब्बा

नम्बर 14/43 की 25 बीघा भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट नियम 7 (1) की प्राथमिकता में नहीं आने पर व अपीलांट से पूर्व भवानी सिंह पुत्र दान सिंह की प्रथम वरियता मानते हुए द्वितीय क्रम पर प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखा गया है। जबकि आवंटन नियमों के तहत अपीलांट को अन्य भूमि आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। अदालत मातहत को अपीलांट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखने का कतई क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—11—1993 के विरूद्व अपील दिनांक 27—04—15 को पेश की है। जो करीब 22 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया गया है वरन् विचाराधीन रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—11—1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—04—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वर्ष 1992 में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 14/43 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटित किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05—11—1993 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र द्वितीय वरियता में मानते हुए विचाराधीन रखा गया है।

(3) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 14/43 के

विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी अन्य जिलें का निवासी होने के कारण नियम 7 (1) की वरियता में द्वितीय क्रम में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा प्रथम वरियताधारक भवानी सिंह पुत्र दानसिंह को आवंटित किया गया तथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र द्वितीय क्रम पर होने के कारण विचाराधीन रखा गया है।

(4) चूंकि प्रकरण में अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के तहत विचाराधीन रखा गया है, ना कि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण में अपीलांट को उक्त विचाराधीन प्रार्थना पर कार्यवाही हेतु अदालत मातहत के समक्ष चाराजोई करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 05—11—1993 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर